



**माननीय श्री नीतीश कुमार**  
मुख्यमंत्री, बिहार



**मो० खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद**  
मंत्री, अ0क0वि0, बिहार

## मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

### मार्गनिर्देशिका



### बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का उपक्रम

34- हाड़िंग रोड, पटना- 800 001

# बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से संचालित होने वाली राज्य सम्पोषित “मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना”

## 1) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण रोजगार ऋण योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के छः समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के व्यक्तियों को लाभांवित करने हेतु संचालित की जायेगी। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को विभिन्न योजनाओं/व्यवसायों में अधिकतम 5 लाख रुपये तक ऋण राशि मुहैया करायी जायेगी।

## 2) योजना के कार्यान्वयन की रूप रेखा

- i) योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा योजना मद में वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक 25 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से कुल 100 करोड़ रुपये की राशि एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में 75 करोड़ रुपये की राशि हिस्सा पूँजी के रूप में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की दर से हिस्सा पूँजी के रूप में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जा रहा है।
- ii) राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध करायी गयी राशि में प्रत्येक वर्ष मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत ऋण वितरित किया जायेगा। इस योजना में वितरित ऋण राशि की वसूली रकम (मूल धन) का उपयोग पुनः इस योजना में ऋण वितरण करने हेतु Revolving fund के रूप में किया जायेगा।
- iii) इस योजना में उपलब्ध निधि के विरुद्ध अर्जित ब्याज, लाभुकों से प्राप्त ब्याज की राशि तथा प्रोसेसिंग चार्ज के मद में प्राप्त राशि का उपयोग प्रशासनिक व्यय, डिलेभरी कॉस्ट एवं अन्यान्य व्यय के मद में किया जायेगा।

- iv) इस योजना के निमित अलग से बैंक खाता का संचालन एवं संधरण किया जायेगा
- v) संशोधित प्रावधन के अनुसार लाभान्वितों के चयन हेतु जिला स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-
- (क) उप विकास आयुक्त या उनके द्वारा मनोनीत निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभियंकरण - अध्यक्ष
  - (ख) संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी या उक्त रिक्त होने के स्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी - सदस्य सचिव
  - (ग) संबंधित जिला के जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी - सदस्य
  - (घ) अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा मनोनीत पदाधिकारी - सदस्य
  - (ङ) जिला स्तरीय चयन समिति में संबंधित जिला के अल्पसंख्यक समुदाय के 2 सामाजिक कार्यकर्ता (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मनोनीत) - गैर सरकारी सदस्य

बैठक में कोरम के लिए अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम 2 (दो) सदस्यों का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष की अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थिति होने पर उपस्थित सदस्यों में से वरीयतम के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

इस चयन समिति द्वारा लाभान्वित होने वाले ऋणावेदकों को उनसे प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर चयन किया जायेगा, जिन्हें ऋण की स्वीकृति देकर बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा राशि विमुक्त की जाएगी।

### 3) चयन की प्रक्रिया :-

- i) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में इस योजना के लिए ऋण आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

- ii) संशोधित प्रावधन के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित आवेदकों को ऋण की स्वीकृति देने के पूर्व उनका स्थल निरीक्षण एवं उनके द्वारा समर्पित कागजात का सत्यापन तथा अनुशंसा के साथ प्रमंडलीय प्रभारी द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
- iii) निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय द्वारा चयनित ऋणावेदकों से कागजीकरण यथा शपथ पत्र, अनुबन्ध पत्र, गारन्टी बॉण्ड, हाइपोथिकेशन प्रपत्र निष्पादित कराया जायेगा, जिसपर निगम की ओर से प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

#### **4) योजना के लाभांवितों हेतु पात्रता मापदण्ड :-**

- i) आवेदन की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- ii) आवेदक बिहार के उसी जिला का निवासी हो, जहाँ योजना ली जानी है।
- iii) ऋण की राशि से लाभुक आय प्रदान करने वाली परिसम्पत्तियाँ सृजित करेंगे।
- iv) आवेदक सरकारी / अर्द्ध सरकारी सेवा में न हो।
- v) आवेदक अल्पसंख्यक यथा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन अथवा पारसी समुदाय का हो। मुस्लिम को छोड़ कर अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित धर्मावलम्बी संस्थानों (Monasteries) द्वारा निर्गत हो।
- vi) आवेदकों के पारिवारिक वार्षिक आय 4.00 लाख रुपये से अधिक न हो।
- vii) ऋणावेदक के पारिवारिक वार्षिक आय एवं आवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डलाधिकारी या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, आवेदन पत्र के साथ समर्पित करना होगा।

**5)**

### ब्याज दर

- i) इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लाभार्थियों को ऋण राशि मुहैया करायी जायेगी तथा योजना लगाने हेतु तीन माह की स्थगन अवधि (Moratorium) मानी जायेगी और इस (Moratorium Period) को ब्याज मुक्त रखा जायेगा।
- ii) इस योजना के निमित चयनित आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करने के समय निगम द्वारा प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में 0.5% शुल्क लिया जायेगा।
- iii) लाभुकों द्वारा निर्धारित समय में किस्तों का भुगतान कर पूर्ण राशि वापस किया जाता है तो उन्हें देय ब्याज में 0.5% की छूट दी जाएगी।

**6)**

### दण्ड ब्याज :-

- i) लाभुकों द्वारा प्रत्येक वर्ष की देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात अतिदेय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर उनसे निगम द्वारा वसूली की जाएगी।

**7)**

### ऋण की वापसी :-

- i) लाभार्थियों से 20 समान त्रैमासिक किस्तों में मूलधन व ब्याज निगम द्वारा वसूल किया जायेगा।

**8)**

### गारन्टर/एकरारनामा :-

- i) ऋणग्रहिता से 1000/- रुपये के नन जुडिसियल/एडहेसिम स्टाम्प पर एकरारनामा (प्रपत्र में) निष्पादित कराया जायेगा।
- ii) निमांकित गारन्टर से 1000/- रुपये के नन जुडिसियल/एडहेसिम स्टाम्प पर गारन्टी बॉण्ड (प्रपत्र में) निष्पादित कराया जायेगा।

- (क) **1 लाख रुपये तक की ऋण राशि :-** ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारंटी किसी ऐसे व्यक्ति की गारन्टी जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान/अन्य सम्बन्धित दस्तावेज हो, से गारन्टी बाण्ड निष्पादित कराते समय उसकी छायाप्रति समर्पित करेंगे।
- (ख) **1,00,001 रुपये से 5 लाख रुपये की ऋण राशि तक :-** एक सरकारी/अर्द्ध सरकारी/बैंक कर्मी/स्वायत निकाय के कर्मी (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष शेष हो)/आयकर दाता की व्यक्तिगत गारन्टी/ऋण राशि के समतुल्य अचल सम्पति का बन्धेज (Equitable Mortagage) के साथ गारंटी बाण्ड निष्पादित करना होगा।
- iii) **ऋण वापसी हेतु लाभार्थी से किसी बैंक (सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) का कम से कम 10 अधिकतम 20 उत्तर दिनांकित चेक लिया जायेगा। साथ ही लाभार्थी से विहित प्रपत्र में शपथ पत्र एवं 30 रुपये का एडहेसिभ स्टाम्प पर हाईपोथिकेशन निष्पादित कराया जायेगा।**

### **9) ऋण की स्वीकृति :-**

- i) निगम मुख्यालय द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश निर्गत कर लाभुक के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान किया जायेगा। यदि स्वीकृत राशि के विरुद्ध मशीन/उपकरण/उपस्कर/सामग्री के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो, तो लाभार्थियों द्वारा अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन/प्रोफोर्म बिल समर्पित किया जायेगा, जिसकी आपूर्ति हेतु सीधे विक्रेता के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा।

- ii) यदि मशीन/उपकरण/उपस्कर सामग्री इत्यादि के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपये से कम हो तो निगम द्वारा स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंकखाते में भुगतान किया जायेगा।



آفس کے توسط سے بذریعہ قرض یا نہ کے بینک اکاؤنٹ میں RTGS کے ذریعہ  
قرض کی رقم فراہم کرائی جائے گی۔

اگر منظور شدہ رقم سے مشین رآلہ جات راوزار اشیاء کے ایک یونٹ کا خرید  
دام ایک لاکھ روپیے یا اس سے زیادہ ہو تو مستقیمیں کے ذریعہ رجسٹرڈ دوکاندار  
سے حاصل کوئی شیش / پرفامبل جمع کیا جائے گا جس کی فراہمی کے لئے برآہ  
راست دوکاندار کے نام علامت شدہ چک (a/c payee) کے توسط سے ادا یا گئی کی جائے گی۔

ii. اگر مشین رآلہ جات راوزار اشیاء وغیرہ کی قیمت ایک لاکھ روپیہ سے کم ہے تو  
کار پوریشن سے منظور قرض کی رقم علامت شدہ بینک اکاؤنٹ میں RTGS  
کے ذریعہ برآہ راست قرض یا فتنگان کو دی جائے گی۔

کا پوریش وصول کرے گا۔

#### 8. گارنٹر / اقرار نامہ:

i. قرض یافتہ سے = 1000 روپے کے نن جیوڈیشل رائیڈیسوا اسٹیمپ پر اقرار نامہ (پرفارما میں) داخل کیا جائے گا۔

ii. درج ذیل گارنٹر سے = 1000 روپیہ کے نن جیوڈیشل ایڈیسوا اسٹیمپ پر گارنٹی بانڈ (پرفارما میں) جمع کیا جائے گا۔

(الف) ایک لاکھ روپیہ تک کے قرض کی رقم: قرض یافتہ کی جانب سے اپنی گارنٹی یا کسی ایسے شخص کی گارنٹی جن کے نام یا ان کے ماں رباپ کے نام کرایہ رسید رلگان ردیگر دستاویز ہو۔ گارنٹی بانڈ بھروانے کے وقت اس کی فوٹو کاپی جمع کرنی پڑے گی۔

(ب) 100001 سے 5 لاکھ روپیہ تک کے قرض کی رقم: ایک سرکاری ریٹم سرکاری ربانک ملازم راؤ نومس باڈی کے ملازم (جن کی مدت ملازمت کم سے کم 5 سال باقی چھی ہو) رائیم لیکس دہنده کی ذاتی گارنٹی قرض کی رقم کے برابر املاک کا مورثہ (Equitable mortgage) کے ساتھ گارنٹی بانڈ بھرا جائے گا۔

iii. قرض کی واپسی کے لئے قرض یافتہ سے کسی بینک (کو اپریو یا علاقائی بینک کو چھوڑ کر) کام سے کم دس یا زیادہ سے زیادہ 20 بعد کی تاریخوں کا چک لیا جائے گا۔ ساتھ ہی قرض یافتہ سے مقررہ پرفارما میں حلف نامہ اور 30 روپیہ کے ایڈیسوا اسٹیمپ پر ہائی پریسکیشن لیا جائے گا۔

#### 9. قرض کی منظوری

1. کارپوریشن صدر دفتر کی جانب سے قرض منظوری حکم نامہ جاری کر

- vi. درخواست دہنده کے خاندان کی آمدنی 4.00 لاکھ روپیہ سے زیادہ نہ ہو۔
- vii. درخواست دہنده کی خاندانی آمدنی اور رہائش سے متعلق سرٹیفیکٹ اہل افسر یعنی سب ڈویزیل افسر، یا بی ڈی اویا سی اور کے ذریعہ جاری کردہ درخواست کے ساتھ جمع کرنا ہوگا۔

#### 5. سود کی شرح:

- i. اس منصوبہ کے تحت کار پوریشن کی جانب سے 5% عام سالانہ شروع سود پر درخواست دہنگان کو قرض کی رقم مہیا کرائی جائے گی اور کام شروع کرنے کے لئے تین مہینے کی Moratorium period دی جائے گی اور اس Moratorium period کو سود سے مستثنی رکھا جائے گا۔
- ii. اس منصوبہ کے تحت قرض کے لئے منتخب درخواستوں پر فنڈ فراہم کرنے کے وقت کار پوریشن کی جانب سے قرض یافتگان سے 0.5% پروسسینگ چارج لیا جائے گا۔
- iii. مستفیضین کی جانب سے مقررہ مدت کے دوران قسطوں کی ادائیگی کے ذریعہ پوری رقم واپس کی جاتی ہے تو انہیں قابل ادا سود میں 0.5% کی رعایت دی جائے گی۔

#### 6. جرمائدہ سود

- i. مستفیضین کی جانب سے ہر سال قابل ادائی رقم کی ادائیگی نہ کئے جانے پر سال ختم ہونے پر کمپاؤنڈ انٹریسٹ لگا کر کار پوریشن کار پوریشن کے ذریعہ وصولی کی جائے گی۔

#### 7. قرض کی واپسی:

قرض یافتگان سے 20 یکساں سہہ ماہی قسطوں میں خالص قرض اور سود

### 3. سلکشن کاظریقہ :

- i. بہار ریاستی اقلیتی مالیاتی کار پوریشن پٹنہ کی طرف سے روزنامہ اخباروں میں اس منصوبہ سے قرض کے لئے درخواست ضلع اقلیتی فلاج کے دفتر میں جمع کرنے کے لئے اشہتار شائع کرایا جائے گا۔
- ii. ترمیم شدہ رقم کے مطابق ضلع سطحی سلکشن کیٹی جن درخواستوں کو منظوری دے گی انہیں قرض دینے سے قبل ان کا آن دی اسپاٹ ویری فیکشن اور درخواست دہندگان کے کاغذات کی جانچ و تقدیق کے ساتھ ڈویزٹل انچارج کی جانب سے اسپاٹ ویری فیکشن روپورٹ پیش کی جائے گی۔
- iii. کار پوریشن کے ڈویزٹل دفاتر کے ذریعہ منتخب امیدواروں سے حلف نامہ، معاهدہ نامہ گارنٹی بانڈ، ہائی پورٹھکیشن پیپر تیار کئے جائیں گے جن پر کار پوریشن جانب سے کار پوریشن کے ڈویزٹل آفس کے انچارج افسروں نے تنخوا کریں گے۔

### 4. منصوبہ سے قرض کے لئے اہلیت کا معیار:

1. درخواست دہنده کی عمر 18 سے 50 سال کے درمیان ہوئی چاہئے۔
- ii. درخواست دہنده بہار کے اسی ضلع کا رہنے والا ہو جہاں کام شروع کیا جاتا ہے۔
- iii. قرض کی رقم سے مستفیضین آمدی پیدا کرنے والی املاک حاصل کریں گے۔
- iv. درخواست دہنده سرکاری رہنم سرکاری ملازمت میں نہ ہو۔
- v. درخواست دہنده اقلیتی فرقہ کا یعنی مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی اور جین ہو مسلم کو چھوڑ کر دیگر اقلیت کے لئے ان کے مذہب سے متعلق ان کے مذہبی پیشوں کا سرٹیفیکٹ ہونا ضروری ہے۔

Fund کے طور پر کیا جائے گا۔

iii. اس منصوبہ میں فراہم شدہ فنڈ پر حاصل شدہ سود، قرض یا فٹگان سے ملنے والا سود اور پروسینگ کے زمرے میں حاصل رقم کا استعمال انتظامی اخراجات، ڈیلوری کا سٹ اور دیگر اخراجات کے لئے کیا جائے گا۔

(iv) اس منصوبہ کے نام سے بینک میں علیحدہ اکاؤنٹ ہوگا اور تمام کام اسی اکاؤنٹ سے ہونگے۔

(v) مستقیضن کے انتخاب کے لئے ڈویژن سطح پر ایک سلکشن کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں مندرجہ ذیل ارکان ہونگے۔

ترمیم شدہ نظم کے مطابق مستقیضن کے انتخاب کے لئے ضلع سطح پر ایک انتخابی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں مندرجہ ذیل ممبران ہوں گے۔

(الف) ڈی ڈی یا ان کے نامزد شدہ ڈائرکٹر ضلع وی ترقیاتی اتحارٹی۔ چیرین

(ب) متعلقہ ضلع کے ضلع اقلیتی فلاج آفیسر یا ذمہ کورہ عہدہ خالی ہونے کی صورت میں اضلاع فلاج آفیسر ممبر سکریٹری

(ج) متعلقہ ضلع کے صنعتی مرکز کے آفیسر۔ رکن

(د) اقلیتی مالیاتی کا پوریش کے میئنگ ڈائرکٹر کی طرف سے نامزد آفیسر۔ رکن

(ج) ضلعی سلکشن کمیٹی میں متعلقہ ضلع کے اقلیتی فرقہ کے دوسرا جی کا رکن (اقليتی فلاجی محکمہ سے نامزد شدہ)۔ غیر رکاری رکن

مینگ کے کورم کے لئے صدر کے علاوہ کم از کم دوار کان کا ہونا لازمی ہے ناگزیری حالات میں صدر کی عدم موجودگی کی صورت میں مینگ میں ایک سے سینتر رکن صدارت کریں گے۔

یہ سلکشن کمیٹی قرض کے لئے درخواست دہندگان کی جانب س موصولہ درخواست کی بنیاد پر مستقیضن کا انتخاب کرے گی۔ اپنی قرض دینے کی سفارش کرے گی بہار ریاستی اقلیتی مالیاتی کا پوریش پٹنہ کے مینچینگ ڈائرکٹر ان کے قرض کی رقم جاری کریں گے۔

## بہار ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے توسط سے چنے والے ریاستی حکومت کا امداد یافتہ وزیر اعلیٰ اقلیتی روزگار قرض منصوبہ

1. وزیر اعلیٰ اقلیتی روزگار قرض منصوبہ: ریاستی حکومت کا امداد یافتہ وزیر اعلیٰ اقلیتی روزگار قرض منصوبہ قومی اقلیتی کمیشن آرڈیننس 1992 کے تحت مرکزی حکومت کی جانب سے قرار دئے گئے اقلیتی طبقہ کے چھ فرقوں (مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی اور جین) کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے شروع کیا جائے گا۔ اس منصوبہ سے اقلیتی فرقہ کے بے روزگار نوجوان لڑکے لڑکیوں کو مختلف منصوبوں رکاروباروں کے لئے زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ روپیہ تک کا قرض دیا جائے گا۔

### 2. منصوبہ نفاذ کا خاکہ:

i. منصوبہ کے نفاذ کے لئے ریاستی حکومت کی جانب سے مالی سال 2012-2013 سے مالی سال 2015-2016 تک 25 کروڑ سالانہ کے حساب سے کل 100 کروڑ روپے کی رقم اور مالی سال 2016-2017 میں 75 کروڑ روپے کی رقم حصہ پونجی کے طور پر بہار ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن بہار، پٹنہ کو فراہم کرائی گئی ہے۔ مالی سال 2017-2018 سے ریاستی حکومت کی جانب سے ہر سال 100 کروڑ روپے کے حساب سے حصہ پونجی کی شکل میں بہار ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کو فراہم کرایا جا رہا ہے۔

2016-17 تک کی مدت میں مہیا کر دیا جائے گا۔

ii. ریاستی حکومت کی جانب سے کارپوریشن کو مہیا کرائے گئے فنڈ میں سے ہر سال وزیر اعلیٰ اقلیتی روزگار قرض منصوبہ کے تحت قرض تقسیم کیا جائے گا۔ اس منصوبہ کے تحت تقسیم کی گئی رقم کی وصولی رقم (خالص رقم) کا استعمال پھر اس منصوبہ کے تحت قرض فراہم کرنے کے لئے Revolving